राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश का तकनीकी विश्वविद्यालय)
एयरपोर्ट रोड, गांधीनगर, भोपाल (म.प्र.)-४६२०३३
फोन : ०७५५-२७३४६१३, २६७८८९७
फैक्स : ०७५५-२७४२००६
ईपीएबीएस : ०७५५-२६७८८९१, २६७८८८१
ईमेल : registrarrgpv@gmail.com, ooregistrar@rgtu.net
वेबसाईट : www.rgpv.ac.in

RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALAYA
(State Technological University of Madhya Pradesh)
Airport Road, Gandhi Nagar, Bhopal (M.P.) – 462033
Phone : 0755 – 2734913, 2678897
Fax : 0755 – 2742006
EPABX: 0755 – 2678891, 2678881
Email : registrarrgpv@gmail.com, ooregistrar@rgtu.net
Website : www.rgpv.ac.in

स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांकः एफ–5 / रागाप्रौवि / शैक्षणिक / स्वायत्ता / 2017 / 6301 दिनांकः 04 /12/ 2017

अधिसूचना

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 की धारा 26 की उपधारा (13) में प्रदत्त शक्तियों एवं परिनियम क्रमांक 37 "स्वाशासी महाविद्यालय" के कंडिका क्रमांक 21 में निहित प्रावधानों का उपयोग करते हुये विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् ने दिनांक 08 नवम्बर, 2017 को आयोजित अपनी 96 वी बैठक में कार्यवृत्त के विषय क्रमांक 02 पर विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 24 जून, 2017 के कार्यवृत्त के पूरक विषय 06 पर शैक्षणिक स्वायत्ता निरंतर करने के निर्णय को अनुमोदन प्रदान करने हुये **सम्राट अशोक अभियंत्रिकीय संस्थान, विदिशा** को शैक्षणिक स्वायत्ता सत्र 2017–2018 से सत्र 2019–2020 हेतु अनुमोदन निम्नलिखित शर्तो के साथ मान्य किया :–

01. महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के निर्धारित मापदंडों के अनुसार शीघ्र की जावे ।
02. महाविद्यालय में शोध एवं विकास कार्य हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जावे।
03. महाविद्यालय परीक्षकों के पैनल माननीय कुलपति जी से अनुमोदित हो।
04. समस्त विद्यार्थियों का नामांकन विश्वविद्यालय में किया जावेगा।
05. शैक्षणिक स्वायत्ता सत्र 2017–2018 से सत्र 2019–2020 हेतु प्रभावशील रहेगी।

महाविद्यालय को उपरोक्त अंकित शर्तो के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तो का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर परिनियम क्रमांक 37 के पैरा 4 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत **शैक्षणिक स्वायत्ता** प्रदान की जाती है :–

01. महाविद्यालय को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली / संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित निम्नलिखित प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षणिक स्वायत्ता प्रदान की गई है :–

सरल क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की ब्रान्च	प्रवेश क्षमता
01.	BE	Bio-Medical Engineering	60
02.	BE	Computer Science & Engineering	120
03	BE	Civil Engineering	60
04.	BE	Electrical Engineering	60
05.	BE	Electronics & Communication Engineering	60
06.	BE	Electronics & Instrumentation Engineering	60

Regtr 15.12.17

RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALAYA * BHOPAL (M.P.) *

07.	BE	Mechanical Engineering	60
08.	BE	Petro Chemical Engineering	60
09.	M.E.	Advanced Production Systems	18
10.	M.E.	Construction Technology and Management	18
11.	M.E.	Electrical Machines & Drives	18
12.	M.E.	Environmental Engineering	18
13.	M.E.	Power Electronics	18
14.	M.E.	Transportation Engineering	18
15.	M.Tech.	Computer Integrated Manufacturing	18
16.	M.Tech.	Computer Science & Engineering	25
17.	M.Tech.	Electronics & Communication Engineering	18
18.	M.Tech.	Information Technology	18
19.	M.Tech.	Software Systems	18
20.	MCA	MCA	60

02. महाविद्यालय को परिनियम क्रमांक 37 में अंकित विवरण के अनुसार विभिन्न प्रकरणों में शैक्षणिक स्वायत्ता रहेगी।

03. महाविद्यालय को परिनियम क्रमांक 37 में प्रावधानित विभिन्न निकायों का गठन कर उसके माध्यम से शैक्षणिक स्वायत्ता का संचालन करना होगा।

04. महाविद्यालय के निकायों द्वारा शैक्षणिक विषयों पर यथा पाठ्यक्रम, शैक्षणिक नियम, पाठ्यचर्या एवं उसमें सुधार एवं अन्य शैक्षणिक विषयों पर लिये गये निर्णयों से राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् को अवगत कराना होगा।

05. सभी निकायों की बैठकों के कार्यवृत्त विश्वविद्यालय को सूचनार्थ अग्रेषित करनें होगे।

06. महाविद्यालय द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं के परीक्षाफल माननीय कुलपति जी के अनुमोदन के उपरांत घोषित होगें एवं इन सभी परीक्षाओं के टेबूलेशन रजिस्टर पर नियंत्रक (परीक्षा) / उपकुलसचिव (परीक्षा) के प्रति हस्ताक्षर होगें।

07. शैक्षणिक स्वयत्ता प्राप्त होने के पश्चात भी महाविद्यालय को उन्हें सौंपे गये नोडल सेन्टर का कार्य भी यथावत् सम्पन्न करना होगा।

08. महाविद्यालय पर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये सभी संबंधित परिनियम/अध्यादेश/विनियम लागू माने जावेंगे एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ उसके अनुसार ही संचालित होगी।

09. छात्रों को उपाधि/पत्रोंपाधि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जावेंगी एव इन उपाधि/ पत्रोपाधि में शैक्षणिक स्वायत्ता शासी महाविद्यालय का नाम अंकित होगा।

10. विश्वविद्यालय को महाविद्यालय के पर्यवेक्षण का अधिकार पूर्वत् रहेगा।

11. महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा इस संबंध में जारी की गई एवं समय–समय पर जारी की जाने वाली गाईड लाइन्स का अक्षरशः पालन करना होगा।

12. महाविद्यालय को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के नियमों एवं उनके समय–समय पर प्रसारित नियमों एवं निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा।

13. प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय का संबद्धता आवेदन पत्र एवं निर्धारित शुल्क एवं शैक्षणिक स्वायत्ता शुल्क प्रचलित व्यावस्था के अनुसार जमा किया जाना सुनिश्चित करें।

14. महाविद्यालय को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 के अतंर्गत बनाये परिनियम क्रमांक – 37 में प्रावधानित सभी नियमों एवं व्यवस्था का अक्षरशः पालन करना होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव,
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल।

पृष्ठाकन क्रमांकः एफ–5 / रागाप्रौवि / शैक्षणिक / स्वायत्ता / 2017 / 6302 दिनांकः 04 / 12 / 2017

प्रतिलिपिः–

01. संचालक, सम्राट अशोक अभियंत्रिकीय संस्थान, विदिशा
02. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
03. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, इंदिरा गांधी खेल काम्पलेक्स, नई दिल्ली।
04. क्षैत्रिय अधिकारी, क्षैत्रिय कार्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, एयर पोर्ट बायपास रोड, गांधी नगर, भोपाल।
05. संचालक, तकनीकी शिक्षा एवं संचालनालय, चतुर्थ तल, सतपुडा, भवन, भोपाल।
06. विश्वविद्यालयीन शिक्षण विभाग, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
07. संचालक, यू.आई.टी., राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
08. नियंत्रक (परीक्ष / वित्त), राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
09. माननीय कुलपति / कुलसचिव महोदय जी के स्टाफ अधिकारी की और सूचनार्थ।

कुलसचिव,
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल।

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

एयर पोर्ट, बाय पास रोड, गांधी नगर, भोपाल–462033
दूरभाष क्रमांक:0755–2678899 फैक्स क्रमांक: 0755–2742006

क्रमांक: एफ–5/रागाप्रौवि/शैक्षणिक/स्वायत्ता/2011/107/1265 दिनांक: 05/01/2012

By Speed Post

प्रति,

प्राचार्य,
सम्राट अशोक अभियांत्रिकीय महाविद्यालय,
विदिशा

S... Engg. College
...SHA (M.P.)
R.No. 878
Dated ...

विषय:– सम्राट अशोक अभियांत्रिकीय महाविद्यालय, विदिशा को पूर्णरूपेण स्वायत्ता प्रदान करने बावत्।

विश्वविद्यालय की विद्वत्त परिषद की बैठक दिनांक 22/11/2011 में सम्राट अशोक अभियांत्रिकीय महाविद्यालय, विदिशा को पूर्णरूपेण शैक्षणिक स्वायत्ता प्रदान करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 05/12/2011 में विद्वत्त परिषद की बैठक दिनांक 22/11/2011 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदानुसार शैक्षणिक सत्र 2011–2012 से सम्राट अशोक अभियांत्रिकीय महाविद्यालय, विदिशा द्वारा संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की प्रथम सेमिस्टर से अंतिम सेमिस्टर तक की पूर्ण स्वायत्ता प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/रागाप्रौवि/शैक्षणिक/स्वायत्ता/2011/59 दिनांक 07/01/2011 में उल्लेखित नियम व शर्तें लागू रहेंगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल।

पृ.क्रमांक: एफ–5/रागाप्रौवि/शैक्षणिक/स्वायत्ता/2011/107/1266 दिनांक: 05/01/2012

प्रतिलिपि:–

01. संचालक, सम्राट अशोक अभियांत्रिकीय महाविद्यालय, विदिशा।
02. सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
03. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, सप्तम तल, चन्द्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली।
04. क्षेत्रिय अधिकारी, क्षेत्रिय कार्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, टैगोर हॉस्टल श्यामला हिल्स, भोपाल।
05. संचालक, तकनीकी शिक्षा एवं संचालनालय, चतुर्थ तल, सतपुड़ा, भवन, भोपाल।
06. विश्वविद्यालयीन शिक्षण विभाग, (समस्त) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
08. नियंत्रक (परीक्षा/वित्त), राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
09. उपकुलसचिव (परीक्षा), राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
10. माननीय कुलपति/कुलसचिव महोदय जी के स्टाफ अधिकारी की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव,
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल।

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

एयर पोर्ट, बाय पास रोड, गांधी नगर, भोपाल–462032

दूरभाष क्रमांक:0755–2678899 फैक्स क्रमांक 0755-[illegible]

क्रमांक: एफ–5 / राग्रप्रौवि / शैक्षणिक / स्वायत्ता / 2011 / [illegible] दिनांक: 07/01/2011

अधिसूचना

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 की धारा 26 की उपधारा (13) में प्रदत्त शक्तियों एवं परिनियम क्रमांक 37 "स्वशासी महाविद्यालय" में निहित प्रावधानों का उपयोग करते हुये विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् ने दिनांक 24 दिसम्बर 2010 को आयोजित अपनी 47 वी बैठक में कार्यवृत्त के पूरक विषय क्रमांक 01 पर शैक्षणिक स्वायत्ता प्रदान करने हेतु गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा दिनांक 2 मई 2010 पर लिये गये निर्णय को अनुमोदन प्रदान करते हुये सम्राट अशोक अभियांत्रिकीय संस्थान, विदिशा को शैक्षणिक स्वायत्ता प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ मान्य किया :–

01. महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के निर्धारित मापदंडों एवं विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक [illegible] के अनुसार शीघ्र की जावे ।
02. महाविद्यॉलय में शोध एवं विकास कार्य हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जावे।
03. महाविद्यालय परीक्षकों के पैनल माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित किया जावेगा।
04. समस्त विद्यार्थियों का नामांकन विश्वविद्यालय में किया जावेगा।
05. प्रथमतः महाविद्यालय को आगामी पॉच वर्षो के लिए शैक्षणिक स्वायत्ता प्रदान की जावे एवं विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा तीन वर्ष के पूर्ण [illegible] के आधार पर दी गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन के पश्चात अवधि आगे बढ़ाई जा सकेगी।

06. विश्वविद्यालय, महाविद्यालय को प्रदत्त स्वायत्ता को किसी भी समय जांच कर असंतोष पाए जाने के पश्चात संबंधित महाविद्यालय को इस आशय की सूचना के उपरांत समाप्त कर सकेगा।

07. विश्वविद्यालय, महाविद्यालयके क्रियाकलापों को नियंत्रित करने हेतु सलाहकार निकाय गठित करेगा।

08. शैक्षणिक स्वायत्ता सत्र 2010–2011 से प्रभावशील रहेगी।

अतः महाविद्यालय को उपरोक्त अंकित शर्तो के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तो का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर परिनियम क्रमांक 37 के पैरा 4 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत **शैक्षणिक स्वायत्ता** प्रदान की जाती है :–

01. महाविद्यालय को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली / संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित निम्नलिखित प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षणिक स्वायत्ता प्रदान की गई है।

सरल क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता
01	बी.ई. – बायो मेडिकल इंजीनियरिंग	60
02	बी.ई. – सिविल इंजीनियरिंग	60
03	बी.ई. – सिविल इंजीनियरिंग (पार्ट टाईम)	25
04	बी.ई. – कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग	60
05	बी.ई. – कन्सट्रक्शन टेक्नालाजी एण्ड मेनेजमेन्ट (पार्ट टाईम)	60
06	बी.ई. – इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग (पार्ट टाईम)	20
07	बी.ई. – इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	60
08	बी.ई. – इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्टेशन इंजीनियरिंग	60
09	बी.ई. – इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेली कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग	60
10	बी.ई. – इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग (पार्ट टाईम)	20
11	बी.ई. – इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग (पार्ट टाईम)	60
12	बी.ई. – इन्फारमेशन टेक्नालाजी	60
13	बी.ई. – मेकेनिकल इंजीनियरिंग	60
14	बी.ई. – मेकेनिकल इंजीनियरिंग (पार्ट टाईम)	20
15	एम.ई.– एडवांस्ड प्रोडक्शन सिस्टम्स	18
16	एम.ई.– कन्सट्रक्शन टेक्नालाजी एण्ड मेनेजमेन्ट (पार्ट टाईम)	18
17	एम.ई.– कन्सट्रक्शन टेक्नालाजी एण्ड मेनेजमेन्ट (पार्ट टाईम)	07
18	एम.ई.– इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रीकल मशीन (डिजाईन)	18
19	एम.ई.– एन्वायरमेन्टल इंजीनियरिंग	18
20	एम.ई.– पावर इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग	18
21	एम.ई.– ट्रान्सपोर्टेशन इंजीनियरिंग	18

22	एम.टेक.–इन्फॉरमेशन टेक्नालाजी	18
23	एम.टेक.– कम्प्यूटर इन्टीग्रेटेड मेन्युफेक्चरिंग	18
24	एम.टेक.– कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग	25
25	एम.टेक.– सॉफ्टवेयर सिस्टमस	18
26	मस्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.)	60
	कुलयोग	969

इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम हेतु पृथक से विश्वविद्यालय से स्वायतता हेतु अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा।

02. महाविद्यालय को परिनियम क्रमांक 37 में अंकित विवरण के अनुसार विभिन्न प्रकरणों में शैक्षणिक स्वायत्ता रहेगी।

03. महाविद्यालय को परिनियम क्रमांक 37 में प्रावधानित विभिन्न निकायों का गठन कर उसके माध्यम से शैक्षणिक स्वायत्ता का संचालन करना होगा।

04. महाविद्यालय के निकायों द्वारा शैक्षणिक विषयों पर यथा पाठ्यक्रम, शैक्षणिक नियम, पाठ्यचर्या एवं उसमें सुधार एवं अन्य शैक्षणिक विषयों पर लिये गये निर्णयों से राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से अनुमोदित कराना होगा।

05. महाविद्यालय के सभी निकायों, संबंधित विषयों मे अध्ययन बोर्डो तथा शिक्षण परिषद की स्थापना परिनियम क्रमांक 37 के अनुसार करेगा एवं इनकी बैठको में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी एवं बैठको के कार्यवृत्त विश्वविद्यालय को सूचनार्थ अग्रेषित करनें होगे।

06. महाविद्यालय को ऐसे नियम बनाने की शक्ति होगी जो कि अधिनियम तथा महाविद्यालय को स्वायत्ता की प्रस्थिति प्रदान करने के उददेश्य को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उसके अधीन विचरित नियमों से असंगत न हो। उन सभी नियमों का विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।

07. महाविद्यालय द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं के परीक्षाफल माननीय कुलपति जी के अनुमोदन के उपरांत घोषित होगें एवं इन सभी परीक्षाओं के टेबूलेशन रजिस्टर पर नियंत्रक (परीक्षा) / उपकुलसचिव (परीक्षा) के प्रति हस्ताक्षर होगें।

08. शैक्षणिक स्वयत्ता प्राप्त होने के पश्चात भी महाविद्यालय को उन्हें सौंपे गये नोडल सेन्टर का कार्य भी यथावत् सम्पन्न करना होगा।

09 महाविद्यालय पर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये सभी संबंधित परिनियम / अध्यादेश / विनियम लागू माने जावेंगे एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ उसके अनुसार ही संचालित होगी।

10. छात्रों को उपाधि / पत्रोपाधि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जावेंगी एवं इन उपाधि / पत्रोपाधि में शैक्षणिक स्वायत्ता शासी महाविद्यालय का नाम अंकित होगा।

11. विश्वविद्यालय को महाविद्यालय के पर्यवेक्षण का अधिकार पूर्वत् रहेगा।

12. महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा इस संबंध में जारी की गई एवं समय–समय पर जारी की जाने वाली गाईड लाइन्स का अक्षरशः पालन करना होगा।

13. महाविद्यालय को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के नियमों एवं उनके समय–समय पर प्रसारित नियमों एवं निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा।

14. महाविद्यालय को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 के अंतर्गत बनाये परिनियम क्रमांक – 37 में प्रावधानित सभी नियमों एवं व्यवस्था का अक्षरशः पालन करना होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव,
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल।

पृष्ठाकन क्रमांकः एफ–5 / रागाप्रौवि / शैक्षणिक / स्वायत्ता / 2011 / 50 दिनांकः 07/01/2011

प्रतिलिपिः–

01. संचालक, सम्राट अशोक अभियांत्रिकीय संस्थान, विदिशा।
02. सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
03. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, इंदिरा गांधी खेल काम्पलेक्स, नई दिल्ली।
04. क्षेत्रिय अधिकारी, क्षेत्रिय कार्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, टैगौर हॉस्टल श्यामला हिल्स, भोपाल।
05. संचालक, तकनीकी शिक्षा एवं संचालनालय, चतुर्थ तल, सतपुड़ा, भवन, भोपाल।
06. विश्वविद्यालयीन शिक्षण विभाग, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।

07. संचालक, यू.आई.टी., राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
08. प्राचार्य / संचालक, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय।
09. नियंत्रक (परीक्षा / वित्त), राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
10. उपकुलसचिव (परीक्षा), राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
11. माननीय कुलपति / कुलसचिव महोदय जी के स्टाफ अधिकारी की ओर सूचनार्थ।
12. उपकुलसचिव (अकादमी), राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।

कुलसचिव,
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल।